

(1)

(2)

(3)



न्यायालय कलोक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)
प्रकरण क्रमांक 0035 / अ-20(3) / 2024-28
म.प्र.शासन
वन विभाग

आवेदक

विरुद्ध

सर्वसाधारण..... अनावेदक

—आदेश—

(पारित दिनांक 10/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अंतर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन हेतु ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 86 के कुल रकमा 11.938 हे० हे० में से 11.938 हे० हे० भूमि नोईयत शासकीय रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल को स्थाई रूप से आवंटन किये जाने प्रारूप - एक मे जावेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीयन किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय-2 निर्देश-13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 में विहित प्रक्रिया अनुसार जौच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
3. तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनाय, आपत्ति आमत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरात नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि में कोई अभिमत / आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। जौच प्रक्रिया उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 86 कुल रकमा 11.938 हे० हे० में से 11.938 हे० हे० नोईयत शासकीय आबादी दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

(1)

(2)

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकमा (हजार में)	आवंटन हेतु प्रस्तावित रकमा (हजार में)
01	गुन्जारी	86	शासकीय	11.938 हॉ	11.938 हॉ

4. अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा से प्राप्त जीवं प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवृत्तन निर्देश-2020 अध्याय-2 नियम 14 अन्तर्गत जिला नजूल निवृत्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरात समिति द्वारा ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 86 के कुल रकमा 11.938 हॉ 11.938 हॉ भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 म०प्र० मू-राजस्व सहित 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये स्थाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।
5. प्रकरण में संलग्न अभिलेखों तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के प्रस्ताव जिला नजूल निवृत्तन समिति से स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवृत्तन निर्देश 2020 की कांडिका 14 अन्तर्गत ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 86 के कुल रकमा 11.938 हॉ 11.938 हॉ भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 म०प्र० मू-राजस्व सहित 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवृत्तन निर्देश 2020 की कांडिका-14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती हैः—

क्र	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकमा (हजार में)	हस्तांतरण रकमा (हजार में)
01	गुन्जारी	86	नजूल	11.938 हॉ	11.938 हॉ

शर्ते —

1. हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
2. आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की रिष्टि में पुन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


 कलाकार
 जिला सीहोर

(1)

(2)

पृष्ठमानक / १९९७
प्रतिलिपि:-

सीहोर दिनांक १०/१०/३४

- अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा/ तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तातरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरात अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कर्तव्यपत्र सीहोर
जिला सीहोर